अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0........................ से ....तक

जिला........................सं0........................सन् 16........................

केस का प्रकार........................

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय, उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0 27–186/2013 कुमारी राखी रानी – अपीलार्थी बनाम राज्य – रेस्पोण्डेन्ट **आदेश** प्रश्नगत अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (मधेपुरा)के ज्ञापांक 993 दिनांक 17.09.2012 के आदेश के आलोक में इस न्यायालय को प्राप्त हुआ था। इस अपीलवाद की सुनवाई इसके पूर्व जिलाधिकारी मधेपुरा के न्यायालय में भी की गई थी। इस न्यायालय में सुनवाई के क्रम में अभिलेख का अवलोकन पश्चात् ज्ञात हुआ कि जिलाधिकारी मधेपुरा ने अपने ज्ञापांक 1145 दिनांक 23.11.2012 द्वारा आदेश निर्गत किए कि प्रश्नगत केन्द्र की आँगनबाड़ी सेविका श्रीमती राखी रानी को कड़ी चेतावनी देते हुए केन्द्र संचालन का एक मौका दिया जाय। इस संबंध में सेविका राखी रानी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक आवेदन लिखित तौर पर इस न्यायालय को दिनांक 09.07.2014 को समर्पित किए है कि जिलाधिकारी मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 1145 दिनांक 23.11.2012 द्वारा प्रश्नगत मामले में आदेश पारित होने के उपरान्त अब अपीलार्थी राखी रानी को अपीलवाद सं0 27–186/2013 चलाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपीलार्थी अब अपने पद पर योगदान कर चुकी है तथा केन्द्र का संचालन भी कर रही है। निस्कर्षोपरान्त अब इस अपीलार्थी का संचालन इस न्यायालय में अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता के अनुरोध	

	पर दिनांक 09.07.2014 की तिथि से With Drawal. कर लिया गया है। अपीलार्थी की सुनवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 18.9.2014. उप निदेशक, कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा 18.9.2014. उप निदेशक, कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा	